

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद सं.- 39/2023

1. सुखाराम पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
  2. इचरज देवी पत्नि सुखाराम जाति ब्राह्मण निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
- वादीगण

बनाम

1. आसुकंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
2. छेलुसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
3. उच्छूकंवर उर्फ अच्छूकंवर पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तह.बीदासर
4. कैलाशकंवर पुत्री सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
5. उदयसिंह पुत्र लाखुसिंह जाति राजपुत निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
6. शायरकंवर पत्नि प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरु
7. ग्राम पंचायत जोगलसर जरीये सरपंच ग्राम पंचायत जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
8. श्रीबेरसिंह नारायणसिंह मेमोरियल संस्था बीकानेर जरीये कोषाध्यक्ष सादूलसिंह
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरु
10. शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी शाखा लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरु
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित:-

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 अनुपस्थित
3. परोकार राज उपस्थित

—: निर्णय :-


दिनांक:- 22-7-25

उपरोक्त वाद पत्र में मुताबिक न्यायालय आदेश दिनांक 12.05.2025 के तहसीलदार बीदासर

द्वारा रोही ग्राम जोगलसर के खसरा संख्या 670, 606, 607, 971/517, 973/648, 1208/963,

1209/963, 1210/963 तादादी कगश: 3.7939, 9.7125, 6.7658, 0.2276, 1.7705, 3.0288, 2.9023,



  
उपखण्ड आधिकारी  
बीदासर

0.1265 हेक्टेयर भूमि का प्रारम्भिक डिकी अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादगत भूमि में खसरा संख्या 670, 606, 1208/963 में 2.8231 हेक्टेयर पर वादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त बताया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव से वादीगण सहमत है।

बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव को वादीगण ने स्वीकार किया। वादीगण ने वाद को विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादीगण के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर के खसरा संख्या 670 तादादी 3.7939 हेक्टेयर में से 0.2740 हेक्टेयर, खसरा संख्या 606 तादादी 9.7125 हेक्टेयर में से 1.3730 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1208/963 तादादी 3.0288 हेक्टेयर में से 1.1761 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8231 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक तरमीम करते हुए वादीगण के नाम अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। शेष खातेदारों की भूमि संयुक्त रखी जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 22-7-25 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)

# अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इत्बादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.  
सुखाराम बनाम आशुकंवर आदि

दावा बाबत:- विभाजन, चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मु.नं.- 39/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर के खसरा संख्या 670 तादादी 3.7939 हेक्टेयर में से 0.2740 हेक्टेयर, खसरा संख्या 606 तादादी 9.7125 हेक्टेयर में से 1.3730 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1208/963 तादादी 3.0288 हेक्टेयर में से 1.1761 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8231 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक तरमीम करते हुए वादीगण के नाम अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। शेष खातेदारों की भूमि संयुक्त रखी जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करें।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-7-25



दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर  
ओहदा

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जादावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर